| राजस्थान राज–पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
| --- | --- |
| साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority* |

फाल्गुन 26, शुक्रवार, शाके 1938–मार्च 17, 2017
*Phalguna 26, Friday, Saka 1938–March 17, 2017*

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**निदेशालय, महिला अधिकारिता**

**जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर**

अधिसूचना

**जयपुर, मार्च 16, 2017**

**राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम, 2017**

**जी.एस.आर.122** :–राज्य में सामूहिक विवाह के आयोजनों को प्रोत्साहित करने, विवाहों में होने वाले अपव्यय को कम करने एवं इस प्रकार का आयोजन कराने वाली संस्थाओं को अनुदान के लिए प्रकिया स्थापित करने हेतु राज्य सरकार राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम, 2017 निम्न प्रकार से एतद्द्वारा लागू करती है।

**1 शीर्षक एवं प्रारम्भ –**

1. यह नियम "राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम, 2017" कहलाये जायेंगे।
2. यह नियम तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

**2 परिभाषाऐं –**

जब तक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में :–

1. 'प्राधिकृत अधिकारी' से अभिप्राय उप निदेशक, निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं, सहायक निदेशक/कार्यक्रम अधिकारी, निदेशालय अथवा ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार द्वारा इन नियमों की क्रियान्विति हेतु प्राधिकृत किया जाए;
2. 'सामूहिक विवाह' से अभिप्राय नियम 6 के अनुसार अनुमति प्राप्त संस्था द्वारा एक ही स्थान पर एक ही समय में कम से कम 10 एवं अधिकतम 500 जोड़ों का विवाह आयोजित करने से है;
3. 'सक्षम अधिकारी' से अभिप्राय जिला कलक्टर तथा उपखण्ड अधिकारी एवं ऐसे अधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा

सामान्य आदेश से अथवा जिला कलक्टर द्वारा विशिष्ट आदेश से सामूहिक विवाहों की अनुमति हेतु अधिकृत किया जाये;

4. 'निदेशालय' से अभिप्राय निदेशालय महिला अधिकारिता से है;
5. 'पात्र संस्था ' से अभिप्राय उस संस्था से है। जिसे नियम 14 (4)के अनुसार प्रपत्र 4 में 'अन्तरिम स्वीकृति' दी गई है;
6. 'प्रपत्र' से अभिप्राय इन नियमों के अंतर्गत दिए गए प्रपत्र से है;
7. 'सरकार' से अभिप्राय राजस्थान सरकार से है;
8. 'संस्था' से अभिप्राय ऐसे सार्वजनिक एवं गैर –शासकीय संगठन से है जो राजस्थान संस्था अधिनियम,1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) अथवा सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 ( 1860 का 21) के अन्तर्गत अथवा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12 ।। में अथवा राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का 42) के अन्तर्गत ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हो तथा राजस्थान राज्य में कार्यरत हो।
9. 'राज्य' से अभिप्राय राजस्थान राज्य से है;

## भाग –1

## सामूहिक विवाह आयोजन हेतु अनुमति

**3 सामूहिक विवाह आयोजन हेतु अनुमति की अनिवार्यता –**

किसी भी संस्था द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन के पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

**4 सामूहिक विवाह आयोजन हेतु अनुमति –**

कोई भी संस्था जब भी सामूहिक विवाह आयोजित करेगी वह अनुमति हेतु प्रपत्र– 1 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी को प्रस्तावित विवाह आयोजन की तिथि से कम से कम 15 दिवस पूर्व आवेदन करेगी तथा प्रस्तुत किये गये आवेदन प्रपत्र की एक प्रति पर रसीद प्राप्त करेगी।

**5 सामूहिक विवाह आयोजन हेतु शर्तें –**

1. किसी भी सामूहिक विवाह आयोजन के लिए निम्न शर्तों की पालना आवश्यक होगी :–

*(i) सामूहिक विवाह में वे ही विवाह मान्य होंगे जिनमें लड़के की आयु 21 और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।

'स्पष्टीकरण 1 – आयु की पुष्टि जन्म प्रमाण पत्र/ बोर्ड परीक्षा प्रमाण पत्र/ मतदाता फोटो पहचान पत्र/ आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड/राशन कार्ड/ ड्राइविंग लाईसेंस/ पासपोर्ट अथवा निर्वाचन विभाग द्वारा निर्धारित पहचान के दस्तावेजों से की जा सकती है। संदेह की स्थिति में उपर्युक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने पर मेडिकल ज्यूरिष्ट द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को मान्यता दी जावेगी।

(ii) विवाह स्थल का विवरण :– विवाह में सम्मिलित होने वाले जोड़े और संभावित मेहमानों की संख्या के आधार पर विवाह स्थल की उपयुक्तता अर्थात विवाह स्थल का क्षेत्रफल, वैवाहिक स्थल पर समुचित खुला स्थान है या नहीं, विवाह स्थल पर वाहनों के आवागमन एवं पार्किंग की उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी।

(iii) सुविधाऐं :– विवाह में भाग लेने वाले व आने–जाने वाले व्यक्तियों के लिए पानी, बिजली, शौचालयों और सफाई आदि की उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी।

(iv) आकस्मिक परिस्थितियों का निवारण:–किसी आकस्मिक घटना के घटित होने पर चिकित्सा सुविधा, अग्निशमन सुविधा एवं अन्य सहायता तुरंत उपलब्ध कराए जाने का प्रबंध, वैवाहिक स्थल पर तुरंत आकस्मिक वाहन जैसे अग्निशमन सेवाऐं, एम्बुलैंस वाहन आदि पहुंच सके ऐसी व्यवस्था करनी होगी।

(अ) किसी सार्वजनिक मार्ग या स्थल पर सार्वजनिक वाहनों या व्यक्तियों के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा अथवा शांति भंग होने की संभावना नहीं हो।

**6 सामूहिक विवाह आयोजन हेतु अनुमति –**

1. सक्षम अधिकारी अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन की उपयुक्त जाँच और स्वयं के स्तर से संतुष्टि के पश्चात ऐसे सामूहिक विवाह आयोजन की अनुमति प्रपत्र–2 में प्रदान करेंगे जिसका अभिलेख प्रपत्र –2(क) के अनुसार रखा जायेगा ।

परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा सामूहिक विवाह की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण 7 दिवस में करना अनिवार्य होगा। आवेदन तिथि से 7 दिवस में अनुमति से इनकार नही करने की स्थिति में स्वतः अनुमति (Deemed permission) मानी जावेगी। प्रत्येक स्वतः अनुमति के प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा संस्था को अनुमति प्रदान नहीं किये जाने का स्पष्टीकरण 15 दिवस के भीतर निदेशालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

2. अनुमति प्रपत्र–2 की प्रति निम्न को दी जावेगी:–
   - (i) प्राधिकृत अधिकारी;
   - (ii) पुलिस अधीक्षक;
   - (iii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद;
   - (iv) तहसीलदार;
   - (v) थानाधिकारी ,पुलिस थाना;
   - (vi) विकास अधिकारी;
   - (vii) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी; PHC/CHC;
   - (viii) विवाह पंजीयन अधिकारी;
   - (ix) अग्निशमन सेवा अधिकारी;

**7 संबंधित संस्था द्वारा संबंधित कार्यालयों,निकायों,अधिकारियों को सूचित करना –**

संस्था आयोजन हेतु अनुमति मिलने के तुरन्त पश्चात 2 दिवस मे क्षेत्र के

(i) प्राधिकृत अधिकारी;
(ii) पुलिस अधीक्षक;
(iii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद;
(iv) तहसीलदार;
(v) थानाधिकारी ,पुलिस थाना;
(vi) विकास अधिकारी;
(vii) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी; PHC/CHC;
(viii) विवाह पंजीयन अधिकारी;
(ix) अग्निशमन सेवा अधिकारी को पूर्ण विवरण सहित जिसमें विवाह स्थल का पूर्ण पता, सम्पर्क व्यक्ति की विगत और टेलिफोन नंबर सहित सूचना देगा।

**8 विवाह आयोजन के समय सक्षम अधिकारी की उपस्थिति –**

सक्षम अधिकारी, विवाह आयोजन के समय स्वयं उपस्थित रहेंगे या अपना प्रतिनिधि भेज सकेंगे जो आयोजन की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देगा। परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि तहसीलदार स्तर से नीचे का नहीं होगा।

**9 विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण व विवाह पंजीयन अधिकारी की उपस्थिति–**

संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि उक्त आयोजन में सम्पन्न विवाहों के पंजीकरण हेतु राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्याक 16) के अंतर्गत समस्त दस्तावेज विवाह पंजीयन आवेदन के साथ संलग्न कर दिये गये है। सामूहिक विवाहों में विवाह पंजीयन विवाह स्थल पर ही किया जायेगा एवं जिला कलक्टर/ उपखण्ड़ अधिकारी विवाह पंजीयन अधिकारी को विवाह स्थल पर उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करेगें।

**10 शास्ति –**

कोई भी संस्था जो सक्षम अधिकारी की अनुमति लिए बिना सामूहिक विवाह का आयोजन करेगी या इन नियमों/निर्देशों के पालन में असफल रहेगी तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सक्षम अधिकारी निम्न कार्यवाही कर सकेंगे:–

(i) संस्था को भविष्य के लिए चेतावनीय

**(ii)** संस्था के विरूद्ध कम से कम रूपये 1000 अधिकतम रूपये 5000 तक की शास्ति का निरूपणय

**(iii)** संस्था को भविष्य में सामूहिक विवाह आयोजित करने हेतु निर्योग्य घोषित किया जाना।

परन्तु इन नियमों के अतंर्गत कोई भी कार्यवाही या शास्ति संस्था का स्पष्टीकरण/सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना नहीं की जाएगी।

## भाग–2
## सामूहिक विवाहों के लिए अनुदान

**11 अनुदान के लिये पात्रता –**

1. कोई भी संस्था जो सामूहिक विवाह का आयोजन करती है, वह यदि इच्छुक हो, तो इन नियमों के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर सकेगी;
2. इन नियमों में अनुदान हेतु वे ही विवाह मान्य होंगे जिनका पंजीयन नियम 9 के अनुसार करा लिया गया हो तथा वर या वधू में से कोई एक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।

**12 अनुदान की सीमा –**

1. इन नियमों के अन्तर्गत अनुदान रूपये 18000 प्रति जोड़ा अथवा राज्य सरकार द्वारा तत्समय निर्धारित अनुदान राशि के आधार पर देय होगा।
2. प्रति जोडा अनुदानित राशि 18000/– रू. में से रूपये 3000/– की राशि संस्था को विवाह आयोजन हेतु देय होगी जबकि रूपये 15000/– की राशि नवविवाहिता (वधु) के नाम से जिसमे से रूपये 10000/– की राशि डाकघर या अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए सावधि तथा रूपये 5000/– चैक /डीडी द्वारा अथवा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विर्निदिष्ट हो, भुगतान किया जायेगा।
3. किसी संस्था को सामूहिक विवाह के लिए एक वित्तीय वर्ष हेतु अनुदान की सीमा रूपये 15 लाख अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित राशि से अधिक देय नही होगी।

**13 अनुदान के लिए आवेदन –**

1. इन नियमों के अंतर्गत अनुदान की इच्छुक संस्था ऐसे आयोजन के कम से कम 10 दिन पूर्व निर्धारित प्रपत्र–3 में, दो प्रतियों में, सक्षम अधिकारी को साक्ष्य के रूप में निम्न दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगी।
   (i) वर–वधू के आयु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति नियम 5 (1) (i) के स्पष्टीकरण में उल्लेखित दस्तावेज;

(ii) वर या वधू के राजस्थान का मूल निवासी होने के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति;
(iii) वधू के बैंक खाता पास बुक की फोटोप्रति;
(iv) विवाह पंजीयन आवेदन;
(v) अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हों अथवा समय –समय पर विनिर्दिष्ट किये जावें;

2. विवाह में सम्मिलित किये जाने वाले संभावित जोड़ों की सूची, आयु के साक्ष्य, मूल निवास आदि साक्ष्य यदि आवेदन के साथ संलग्न नहीं किए गये है, तो आयोजन तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व तक दिया जाना अनिवार्य होगा।

14 आवेदन की जांच, सत्यापन, अनुदान जारी करना–

1. सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसे प्राप्त प्रस्ताव जाँच, सत्यापन एवं अनुशंषा हेतु तत्काल प्राधिकृत अधिकारी को भिजवायें जावेंगे।
2. ऐसे प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण प्राधिकृत अधिकारी की अध्यक्षता में निम्न अधिकारियों की समिति द्वारा किया जायेगा :–
   (i) सक्षम अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी; मनोनीत अधिकारी तहसीलदार स्तर से नीचे का नहीं होगा ;
   (ii) स्थानीय बाल विकास परियोजना अधिकारी;
   (iii) प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में पदस्थापित अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा मनोनीत अन्य सहायक लेखाधिकारी ग्रेड II अथवा उसकी अनुपलब्धता में कनिष्ठ लेखाकार जैसा भी प्रकरण हो;
3. प्राधिकृत अधिकारी, समिति के परीक्षण के पश्चात यदि आवेदन में किसी प्रकार की कमी या आक्षेप हो तो उसकी पूर्ति हेतु आवेदक संस्था को निर्दिष्ट करेंगे व आक्षेपों की पूर्ति सामूहिक विवाह आयोजन से 5 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से करवाई जावेगी।
4. आवेदन नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी इस अभिशंषा के साथ कि संस्था अनुदान की पात्र है, प्रकरण अनुमोदनार्थ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे व अनुमोदन के उपरान्त संभावित जोड़ों के अनुसार अनुदान राशि की अंतरिम स्वीकृति प्रपत्र– 4 में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की जावेगी व बजट प्राप्त कर राशि आहरित कर संस्था व वधू हेतु चैक /डी.डी/सावधि बनवाने या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट भुगतान प्रकिया की कार्यवाही विवाह के पूर्व सुनिश्चित करेंगें।

5. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी पात्र संस्था को उक्त नियम 14(4) के अंतर्गत जारी की गई अंतरिम स्वीकृति की प्रति सक्षम अधिकारी को भी प्रेषित की जावेगी।
6. पात्र संस्था द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह के दिन प्राधिकृत अधिकारी विवाह स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
7. पात्र संस्था द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह आयोजन समाप्त होने के तुरंत पश्चात उसी दिन नियम 9 के अनुसरण में विवाहों का पंजीकरण करवा कर संस्था द्वारा अनुदान हेतु आवेदन प्रपत्र– 5 में प्रस्तुत किया जावेगा। इस आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे।
   (i) संपन्न हुए विवाह में सम्मिलित जोडों की प्रमाणित सूची;
   (ii)विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां;
   (iii)अन्य विनिर्दिष्ट किये गये आवश्यक दस्तावेज;

**15 अनुदान की स्वीकृति एवं भुगतान –**

1. संस्था द्वारा अनुदान के लिए प्रपत्र– 5 में प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवाह स्थल पर उसी समय किया जावेगा तथा नियमानुसार पूर्ण पाये जाने पर अन्तिम स्वीकृति जारी कर योग्य जोड़ों को सावधि/चैक/डी.डी या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अनुदान का भुगतान किया जावेगा। तत्पश्चात अवशेष सावधि/चैक/डी. डी के दस्तावेज निरस्त कर शेष राशि को बजट मद में पांच कार्य दिवस में वापस जमा करवा दिया जाएगा।
2. संस्था को अनुदान का भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी भुगतान प्रकिया के तहत अन्तिम स्वीकृति जारी होने के उपरांत 7 दिवस में अनिवार्यतः किया जायेगा।
3. भुगतान दो प्रकार से किया जावेगा:–
   (i) संस्था को विवाह आयोजन हेतु प्रति जोड़ा स्वीकृत राशि नियम 12 के उप नियम 2 में उल्लेखित है, के आधार पर कुल मान्य विवाह (जोडे) हेतु राशि का भुगतान किया जायेगा।
   (ii) प्रति जोड़ा अनुदान योग्य राशि से नियम 12 के उपनियम 2 के अनुसरण में रूपये 15000/– नवविवाहिता (वधु) के नाम से जिसमे से रूपये 10000/– की राशि डाकघर या अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए सावधि तथा रूपये 5000/– चैक/डीडी द्वारा अथवा

जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विर्निदिष्ट हो, भुगतान किया जायेगा।

4. नियम 12 के उपनियम (2) के अनुसरण में राशि प्रत्येक वधू के नाम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सावधि/चैक/डीडी बनायी जायेगी। राशि के दस्तावेज संबंधित वधूओं को सौपकर प्राप्ति रसीद प्राधिकृत अधिकारी को संस्था द्वारा प्रस्तुत की जावेगी।
5. इन नियमों के अन्तर्गत अनुदान का भुगतान नियम 16 के अनुसरण में जमा राशि से किया जायेगा।

16 अनुदान हेतु प्रावधान–

राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के अंतर्गत अनुदान हेतु समुचित राशि का प्रावधान किया जावेगा जिसे आवश्यकतानुसार सहायक निदेशक /कार्यक्रम अधिकारी निदेशालय के बजट मद में या जैसा कि राज्य सरकार द्वारा भविष्य में विर्निदिष्ट किया जाये, विवाह पूर्व जमा कराया जावेगा।

17 सूचना एवं व्यय विवरण–

1. सामूहिक विवाहों के लिए दी गई अनुमति की सूचना सहायक निदेशक/कार्यक्रम अधिकारी निदेशालय जिले के संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों से या स्वयं प्राधिकृत अधिकारी है तो प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निदेशालय को प्रपत्र– 6 में भेजी जावेगी;
2. सहायक निदेशक/कार्यक्रम अधिकारी निदेशालय इन नियमों के अंतर्गत अनुदान हेतु प्राप्त आवेदन उनके निस्तारण एवं व्यय की सूचना प्रपत्र–7 में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निदेशालय को भिजवायेंगे।

18 शंका / विवादों का निस्तारण–

1 इन नियमों के अंतर्गत सामूहिक विवाह अनुमति अथवा विवाह के अनुदान के संबंध में शंका / विवादों का निपटारा निम्न प्रकार से किया जावेगा–

(i) सामूहिक विवाह अनुमति संबंधी कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर यदि प्रकरण सक्षम अधिकारी से संबंधित है तो जिला कलेक्टर के स्तर पर निपटाया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में प्रकरण जिला कलक्टर के माध्यम से निदेशालय को भिजवाया जा सकेगा। प्रशासनिक विभाग का निर्णय/ निर्देश, जैसा भी प्रकरण हो, अंतिम होगा।

(ii) सामूहिक विवाह हेतु अनुदान के संबंध में कोई शंका अथवा विवाद अथवा कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर

प्रकरण निदेशालय को प्रेषित किया जावेगा जिस पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय/निर्देश अंतिम माना जावेगा।

2. इन नियमों के कियान्वयन के संबंध मे राज्य सरकार समय समय पर परिपत्र/आदेश व निर्देश जारी कर सकेगी।

**19 नियमों का निष्प्रभावी होना–**

इन नियमों के लागू होने के पश्चात राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम 2009 तथा उनके अनुसरण में समय समय पर जारी संशोधन/स्पष्टीकरण एवं निर्देश स्वतः निष्प्रभावी माने जावेंगे।

परन्तु इन नियमों के प्रभावी होने से पूर्व संपन्न सामूहिक विवाह के प्रकरणों का निस्तारण राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम 2009 के प्रावधानानुसार ही किया जावेगा।

## राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम 2017

### सामूहिक विवाह हेतु आवेदन

प्रपत्र 1

नियम 4

सेवामें,

_____

(सक्षम अधिकारी)

महोदय,

निवेदन है कि हमारी संस्था दिनांक ----------को एक सामूहिक विवाह आयोजित करने जा रही है जिसकी विगत निम्नप्रकार से है –

1. संस्था का विवरण–
   (1) नाम व पंजीयन संख्या एवं वर्ष
   (2) संस्था का प्रकार
   (3) संस्था का रजिस्टर्ड पता व दूरभाष नम्बर
   (4) संस्था के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का विवरण मय दूरभाष नम्बर, एवं पता
   (5) संस्था के बैंक खाते का विवरण(बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC code
   (6) पूर्व में आयोजित सामूहिक विवाहों का विवरण
2. प्रस्तावित सामूहिक विवाह कार्यक्रम का विवरण
   (i) विवाह तिथि
   (ii) संभावित जोड़ों की संख्या
   (iii) एक जातीय/सर्वजातीय/सर्वधर्म
   (iv) विवाह कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संभावित संख्या

(v) संस्था की ओर से कार्यक्रम के लिये उतरदायी व्यक्तियों का विवरण

3 प्रस्तावित सामूहिक विवाह स्थल का विवरण

(i) स्थल का नाम, पता, दूरभाष नम्बर

(ii) संबंधित पुलिस थाना

(iii) संबंधित विवाह पंजीयन अधिकारी का नाम/पदनाम/दूरभाष

(iv) विवाह स्थल पर व्यवस्था ( नियम 5 के *ii* से *v* के अनुसार )

4. आयु संबंधी दस्तावेज।(नियम 5 के (1) (i) के अनुसार)

घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त दिया गया विवरण, जहाँ तक मेरी/हमारी जानकारी है, सही है।

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम, 2017 के अंतर्गत सभी नियम/शर्तों का पालन किया जावेगा।

हस्ताक्षर संस्था सचिव
(मय नाम, पता व टेलीफोन नम्बर)

हस्ताक्षर संस्था अध्यक्ष
(मय नाम, पता व टेलीफोन नम्बर)

स्थान–
दिनांक–

संस्था की मोहर

राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम, 2017
सामूहिक विवाह हेतु अनुमति
प्रपत्र 2
नियम 6(1)

क्रमांक _____ दिनांक

_____

(संस्था का नाम एवं पता)

विषय एवं प्रसंग:– राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम 2017 सामूहिक विवाह आयोजन हेतु अनुमति।

महोदय/महोदया,

आपकी संस्था द्वारा दिनांक ————को स्थान ———— पर सामूहिक विवाह आयोजन हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रसंग में आपको राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम 2017 की शर्तों के अधीन सामूहिक विवाह आयोजन हेतु एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। यदि प्रस्तावित तिथि या स्थान में या किसी अन्य

प्रकार से आयोजन में परिवर्तन किया जाए तो तत्संबंधी सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जाए।

हस्ताक्षर
सक्षम अधिकारी
कार्यालय मोहर/स्थान व दिनांक

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपि :

(i) प्राधिकृत अधिकारी;
(ii) पुलिस अधीक्षक;
(iii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद;
(iv) तहसीलदार;
(v) थानाधिकारी ,पुलिस थाना;
(vi) विकास अधिकारी
(vii) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी; PHC/CHC
(viii) विवाह पंजीयन अधिकारी;
(ix) अग्निशमन सेवा अधिकारी;

हस्ताक्षर
सक्षम अधिकारी

राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम 2017
सामूहिक विवाह हेतु अनुमति रजिस्टर
प्रपत्र 2(क)
नियम 6(1)

जिले का नाम

| क.सं. | सामूहिक विवाह अनुमति दिनांक | संस्था का नाम व पता | संस्था की रजिस्ट्रेशन संख्या व दिनांक मय संबधित अधिनियम | मुख्य संपर्क व्यक्ति का पता मय टेलीफोन नम्बर | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम 2017
प्रपत्र 3
अनुदान हेतु आवेदन (दो प्रतियों में)
नियम 13

सेवामें,

_____

सक्षम अधिकारी

महोदय,

निवेदन है कि हमारी संस्था दिनांक ————————को स्थान————————पर सामूहिक विवाहों का आयोजन करने जा रही है। जिस हेतु राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम 2017 के अंतर्गत निम्न प्रकार से आवेदन प्रस्तुत है –

1 संस्था का नाम एवं पूर्ण पता;
2 संस्था रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं संबंधित अधिनियम जिसके अंतर्गत संस्था रजिस्टर्ड है;
3 सामूहिक विवाह आयोजन की दिनांक एवं स्थल;
4 यदि पूर्व में इस प्रकार के आयोजन हेतु अनुदान प्राप्त किया गया हो तो संक्षिप्त विवरण;

प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न है :–

I. जिला कलेक्टर/सक्षम अधिकारी द्वारा नियम 6 के अनुसार दी गई अनुमति की सत्यापित प्रति
II. सामूहिक विवाह में सम्मिलित संभावित जोड़ों की संख्या व सूची
III. वर– वधू के आयु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति;
IV. वर या वधू के राजस्थान की मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति;
V. वधू के बैंक खाता पास बुक की फोटोप्रति;
VI. म्च्ब्/आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड की प्रति;
VII. विवाह पंजीयन आवेंदन;
VIII. विवाह आयोजन के संबंध में साक्ष्य– विवाह स्थल का आयोजन एवं अन्य तैयारियों संबंधी सूचना
IX. अन्य विनिर्दिष्ट दस्तावेज;

घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि प्रस्तावित आयोजन में –

1. एक बार में कम से कम 10 व अधिकतम 500 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जायेगा जैसा कि राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम 2017 के नियम 2 के उपनियम (2) में उल्लेखित है।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक विवाहित जोडे में लडकी की आयु 18 वर्ष एवं लडके की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होगी।

3. इस आयोजन में सम्मिलित सभी विवाहित जोड़ों का पंजीयन राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम 2017 के नियम 9 के अनुसरण में कराया जाएगा।
4. (i) विवाह में सम्मिलित जोड़ों की सूची निर्धारित संलग्नक में संलग्न कर दी गई है अथवा
   (ii) विवाह में सम्मिलित होने वाले संभावित जोड़ों की सूची अभी संलग्न नहीं की जा रही है। यह सूची विवाह आयोजन की तिथि के 7 दिन पूर्व निर्धारित संलग्नक अनुसार प्रस्तुत कर दी जाएगी।
5. हमारी संस्था राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम 2017 के अंतर्गत सभी शर्तों का पालन करेगी और विवाह संपन्न होने के बाद तुरंत पश्चात अनुदान भुगतान हेतु (प्रपत्र 5 में) आवेदन प्रस्तुत करेगी।
6. संस्था प्रति जोड़ा अनुदान राशि रूपये 10,000/- निर्देशानुसार वधू के नाम डाकघर या अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंको में सावधि जमा कराने तथा रू 5000/- का चैक/डीडी बनवाने में सहयोग देगी एवं वधूओं को इस प्रकार की जमा राशि के दस्तावेज देकर उनकी रसीद प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा करायेगी।
7. विवाह आयोजन हेतु जो राशि अनुदान के रूप में संस्था को दी जावेगी वह उसी प्रयोजनार्थ व्यय होगी जिस हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया है।

हस्ताक्षर संस्था
पदाधिकारी
संस्था की मोहर

स्थान
दिनांक

कार्यालय उपयोग हेतु

राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम 2017 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन की मूल प्रति भेजकर लेख है कि उक्त आवेदन के तथ्यों की जांच /सत्यापित करते हुए अपनी अभियुक्ति/अनुशंषा के साथ प्रेषित करें।

सक्षम अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी

अभियुक्ति / अभिशंषा

1. उपरोक्त आवेदन में दिए गये तथ्यों की जांच नियम 14 के उपनियम (2) के अनुसार गठित समिति द्वारा कर ली गई है। आवेदन में नियमानुसार निम्न कमियाँ पाई गई जिनकी संस्था द्वारा पूर्ति करवा ली गई है :–
   (1)
   (2)
   (3)

अथवा

2. उक्त आवेदन के तथ्यों की पूर्ण जाँच कर ली गई है। आवेदन में वर्णित तथ्य सही पाये गये हैं । आवेदन स्वीकार करने योग्य है। राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम, 2017 के अंतर्गत अनुदान हेतु प्रस्ताव स्वीकार करते हुए इस आवेदन के साथ विवाह में सम्मिलित होने वाले संभावित जोड़ों की सूची संलग्न की गई है आवेदक को सूचित करना उपयुक्त होगा कि विवाह संपन्न होने पर विवाहों का पंजीकरण करवाकर नियमानुसार प्रपत्र–5 में अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।

अथवा

3. संस्था निम्न कारणों से अनुदान योग्य नहीं पाई गई–
   (1)
   (2)
   (3)
   (4)
   जो संबंधित न हो वह काट दें।

प्राधिकृत अधिकारी

सक्षम अधिकारी

उपरोक्तानुसार अनुमोदित संस्था को सूचित करें व संभावित जोड़ों के अनुसार अनुदान राशि आहरित कर सावधि / चैक / डीडी बनवाने की कार्यवाही करें।

सक्षम अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी

(संलग्नक प्रपत्र–3)

सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाले संभावित जोड़ों की सूची

| वर पक्ष | | | | | वधू पक्ष | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | वर का नाम | आयु | शैक्षणिक योग्यता | पूर्ण पता मय टेलीफोन | वधू का नाम | आयु | शैक्षणिक योग्यता | पूर्ण पता मय टेलीफोन | टिप्पणी |

| | मय पिता व माता का नाम | | | नंबर, यदि हो | मय पिता व माता का नाम | | | नंबर, यदि हो | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम 2017
अन्तरिम स्वीकृति
प्रपत्र 4
नियम 14(4)

क्रमांक दिनांक

श्री———————————

———————————

(संस्था का नाम एवं पता)

विषय – राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम 2017

प्रसंग– आपका आवेदन दिनांक ———————

महोदय/महोदया,

सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम 2017 के अंतर्गत अनुदान हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रसंग में आपको सूचित करते हुए हर्ष है कि आपके आवेदन पत्र पर अन्तरिम स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है।

आपसे आग्रह है कि :–

(i) आयोजन सम्पन्न होने पर राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्याक 16) के अंतर्गत विवाह आयोजन के तुरन्त पश्चात् उसी दिन सभी विवाहों का पंजीकरण कराने में अपना पूरा सहयोग दें।

(ii) विवाह आयोजन के तुरंत पश्चात उसी दिन नियमों के प्रपत्र–5 में अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करावें जिसके साथ निर्धारित दस्तावेज भी संलग्न करें ताकि अन्तिम स्वीकृति/अनुदान स्वीकृति उसी दिन जारी की जा सके।

प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक

राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम, 2017
सामूहिक विवाह अनुदान भुगतान हेतु आवेदन
प्रपत्र 5
नियम 14(7)

प्राधिकृत अधिकारी
.....

महोदय,

निवेदन है कि हमारी संस्था द्वारा पूर्व में दिनांक ..... को प्रस्तुत राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम, 2017 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में (संख्या).....जोड़ों के सामूहिक विवाह संपन्न कराए गए है।

1. संस्था का नाम एवं पूर्ण पता–
2. संस्था का रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं संबंधित अधिनियम जिसके अंतर्गत संस्था रजिस्टर्ड है
3. नियम 6 के अंतर्गत संस्था को सामूहिक विवाह की अनुमति कमांक एवं दिनांक
4. नियम 14(4) में अन्तरिम स्वीकृति का कमांक एवं दिनांक
5. सामूहिक विवाह आयोजन की दिनांक एवं स्थल
6. सामूहिक विवाह में सम्मिलित वास्तविक जोड़ों की संख्या

अतः राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम, 2017 के अंतर्गत निम्न प्रकार से अनुदान स्वीकृत करने का श्रम करें :–

(1) विवाह आयोजन हेतु :–
प्रति जोड़ाराशि रू. 3000/– X जोड़ों संख्या = कुल राशि

(2) वधू के नाम सावधि जमा हेतु राशि :–
प्रति वधू राशि रू. 10000/– X वधूओं की संख्या = कुल राशि

(3) वधू के नाम से जारी किया गया चैक/डीडी
प्रति वधू रूपये 5000/– X वधुओं की संख्या = कुल राशि
योग 1+2+3 =

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर संस्था पदाधिकारी नाम
एवं संस्था की मोहर

संलग्न दस्तावेज :-

1. सम्पन्न हुए विवाह में सम्मिलित जोड़ो की प्रमाणित सूची
2. वधू और वर के आयु प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां
3. विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां
4. नियम 14 (4) के अनुसरण में जारी अंतरिम स्वीकृति की प्रति
5. अन्य दस्तावेज

घोषणा

मैं/हम घोषित करते हैं कि उक्त विवाह वास्तविक रूप में सपंन्न कराए गए है एवं राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम, 2017 की सभी शर्तों का पालन किया गया है, जैसा कि पूर्व आवेदन में अंकित है। मैं/हम यह भी वचन देते है कि राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम, 2017 के नियम 15(3)(ii) व नियम 15(4) के अनुसरण में कार्यवाही में संस्था अपना पूरा सहयोग देगी।

स्थान :

हस्ताक्षर एवं नाम संस्था पदाधिकारी

संस्था की मोहर

दिनांक :

कार्यालय उपयोग हेतु(अन्तिम स्वीकृति)

कार्यालय .....

राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम, 2017 के अंतर्गत अनुदान हेतु प्रस्तुत आवेदन प्रपत्र का परीक्षण किया गया है। तद्नुसार अन्तिम स्वीकृति जारी कर निम्न प्रकार अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है :-

1. विवाह आयोजन हेतु :-
   प्रति जोड़ा राशि रूपये 3000/- X स्वीकृत योग्य जोड़ों की संख्या= कुल राशि
2. वधू के नाम सावधि जमा हेतु राशि :-
   प्रति वधू रूपये 10000/- X स्वीकृति योग्य वधूओं की संख्या = कुल राशि
3. वधू के नाम से जारी किया गया चैक/डीडी
   प्रति वधू रूपये 5000/- X वधुओं की संख्या = कुल राशि

योग 1+2+3 =

प्राधिकृत अधिकारी

भुगतान किया गया :-

1. राशि रू ..... वधूओं के नाम सावधि चैक/डी.डी

(वधूओं की संख्या X प्रति वधू स्वीकृत राशि) =

सावधि संख्या ..... दिनांक ..... बैंक .....
(सूची संलग्न)
चैक/डी.डी सख्या.....दिनांक.....बैंक.....

प्राप्ति हस्ताक्षर
संस्था पदाधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी

भुगतान किया गया :-

2. राशि रू ..... संस्था को आयोजन में सहयोग हेतु।

प्राधिकृत अधिकारी

प्राप्ति हस्ताक्षर
संस्था पदाधिकारी

**(संलग्न प्रपत्र 5)**

सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाले वास्तविक जोड़ों की सूची

| वर पक्ष | | | | | वधू पक्ष | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | वर का नाम मय पिता व माता का नाम | आयु | शैक्षणिक योग्यता | पूर्ण पता मय टेलीफोन नम्बर, यदि हो | वधू का नाम मय पिता व माता का नाम | आयु | शैक्षणिक योग्यता | पूर्ण पता मय टेलीफोन नम्बर, यदि हो | राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम 2009 के अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र का कमांक व दिनांक (प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न) | विवाहित जोड़े का फोटो |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

हस्ताक्षर संस्था सचिव
(मय नाम पता,टेलीफोन न0)

हस्ताक्षर संस्था अध्यक्ष
(मय नाम पता,टेलीफोन न0)

स्थान:
दिनांक :

राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम, 2017
जिले में आयोजित सामूहिक विवाह संबंधी सूचना
प्रपत्र – 6
नियम 17(i)
**सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत मासिक सूचना–प्रपत्र**

जिले का नाम:
माह:

| क्र स | माह में प्राप्त सामूहिक विवाह हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक | संस्था का नाम | जोड़ो की संख्या | सामूहिक विवाह आवेदन स्वीकृति की दिनांक | सामूहिक विवाह आयोजन की दिनांक | सामूहिक विवाह के अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक | अनुदान हेतु प्राप्त आवेदन की स्वीकृति दिनांक व राशि | अनुदान स्वीकृति पश्चात भुगतान राशि मय दिनांक | लाभान्वितो की संख्या | अनुदान स्वीकृत नही किया गया तो कारण | यदि प्रकरण निरस्त किया गया तो कारण व दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

हस्ताक्षर
सहायक निदेशक / कार्यक्रम अधिकारी
महिला अधिकारिता

आयुक्त / निदेशक
महिला अधिकारिता
राजस्थान,जयपुर

कार्यालय
राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम, 2017
प्रपत्र – 7
नियम 17 (ii)
सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत संचयी (cumulative)सूचना–प्रपत्र

माह.....

(क) भौतिक प्रगति

| क.स | गत माह तक सामूहिक विवाह हेतु प्राप्त कुल आवेदन पत्र | इस माह में प्राप्त कुल प्रकरण | वर्ष में प्राप्त कुल प्रकरण | गत माह तक सामूहिक विवाह अनुदान हेतु कुल प्रकरण | इस माह में सामूहिक विवाह के अनुदान हेतु प्राप्त कुल प्रकरण | वर्ष में सामूहिक विवाह के अनुदान हेतु प्राप्त कुल प्रकरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

(ख) वित्तीय प्रगति (वित्तीय वर्ष ..............................)

| क. स | गत माह तक सामूहिक विवाह हेतु जारी भुगतान स्वीकृति | इस माह में सामूहिक विवाह हेतु जारी भुगतान स्वीकृति | कुल भुगतान स्वीकृति | गत माह तक भुगतान की गयी राशि | इस माह में भुगतान की गयी राशि | कुल भुगतान की गयी राशि | गत माह तक भुगतान स्वीकृति से शेष प्रकरण | इस माह में भुगतान स्वीकृति से शेष प्रकरण | कुल भुगतान स्वीकृति से शेष प्रकरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| गत माह तक भुगतान से शेष प्रकरण | इस माह में भुगतान से शेष प्रकरण | कुल भुगतान से शेष प्रकरण | गत माह तक निरस्त किये गये प्रकरण | इस माह में निरस्त किये गये प्रकरण | कुल निरस्त किये गये प्रकरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

(ग) इस माह योजना प्रोत्साहन हेतु की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

[संख्या एफ 14(1)(40)निमअ/सामू.वि./2015-16/9286]

अपाठ्य,

सहायक निदेशक/कार्यक्रम अधिकारी,

महिला अधिकारिता

आयुक्त/निदेशक,
महिला अधिकारिता,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।